30/2014 – अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर०ए०एस०

सीलिंग शिकायत प्रकरण सं० 30/14

आसासिंह पुत्र मंहगासिंह
जाति जटसिख निवासी
40 एच बी तह० श्री करणपुर
शिकायतकर्ता

बनाम

तारासिंह पुत्र किशनसिंह
जाति जटसिख साकिन
40 एच तहसील श्री करणपुर।
अप्रार्थी

उपस्थित : स्टेट की ओर से राजकीय अधिवक्ता – सीलिंग
श्री गुरविन्दसिंह सिंधू, अधिवक्ता, अप्रार्थी

आदेश दिनांक : 24.4.17

प्रस्तुत सीलिंग शिकायत प्रकरण अति० जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर के न्यायालय से दिनांक 23–5–14 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

शिकायतकर्ता श्री आसासिंह ने शिकायत प्रार्थना पत्र में निम्न भूमियाँ अप्रार्थी के धारण में होना बताई हैं :–

1. चक 40 एच बी तहसील श्री करणपुर में 145–00 बीघा नहरी भूमि है, जो अप्रार्थी द्वारा बैनामी हस्तान्तरणों से अपने लड़के, भाईयों, भतीजी, भतीजे आदि के नाम करा रखे है। मौके पर तमाम रकबा अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है।
2. चक 17 आर बी तहसील पदमपुर में अप्रार्थी व उसके भाईयों के नाम मुश्तर्का खाता में 130 बीघा भूमि दर्ज है। इसी गॉव के लाडासिंह हरिजन की 50 बीघा भूमि अप्रार्थी ने बैनामी हरिजन के नाम से खरीद कर रखी है।
3. चक 72 आर बी तहसील पदमपुर में भी तारासिंह वा उसके भाईयों के नाम मुश्तर्का खाता में 6 मुरब्बे यानि 150 बीघा भूमि है।
4. इसी चक (चक 72 आर बी) में अप्रार्थी के ताया लालसिंह के नाम 75 बीघा भूमि है। अप्रार्थी का ताया लालसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है इसलिए उसकी भूमि अप्रार्थी व उसके भाईयों के पास है। लालसिंह का एक भाई किशनसिंह जो अप्रार्थी का पिता है, वह भी फौत हो चुका है। उक्त 75 बीघा भूमि अप्रार्थी तारासिंह के कब्जा काश्त में है।

Law
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

A10
2

30
2014 – अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

5. चक 22 पी एस तहसील रायसिंहनगर में अप्रार्थी व दरबारासिंह दोनों भाईयों के नाम से 25 बीघा भूमि है।

इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी तारासिंह की भूमि वाके चक 40 एच बी तहसील श्री करणपुर, चक 17 आर बी, चक 72 आर बी तहसील पदमपुर एवं चक 22 पी एस तहसील रायसिंहनगर की जॉच करवाई जाकर, अप्रार्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 6–4–17 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी के पिता के नाम से पूर्व में सीलिंग प्रकरण की जॉच हो चुकी है, जिसमें भूमि सीलिंग सीमा से कम पाई गई थी इसलिए न तो पूर्व में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक थी और न ही वर्तमान में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है। सीलिंग प्रकरण को रि–ओपन करने के अधिकार राज्य सरकार को हैं। रि–ओपन करने की अवधि निकल चुकी है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी आधार के अप्रार्थी से रंजिश निकालने के लिए शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर सीलिंग की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप फरमाई जावे।

अप्रार्थी द्वारा धारित भूमि एवं परिवार के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई । उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अप्रार्थी के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है। अतः अप्रार्थी के खिलाफ अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी चाहिये।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी के पिता के नाम से पूर्व में सीलिंग प्रकरण की जॉच हो चुकी है, जिसमें भूमि सीलिंग सीमा से कम पाई गई थी इसलिए न तो पूर्व में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक थी और न ही वर्तमान में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है। सीलिंग प्रकरण को रि–ओपन करने के अधिकार राज्य सरकार को हैं। रि–ओपन करने की अवधि निकल चुकी है। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भी अप्रार्थी के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से कम है। शिकायत रंजिशवश झूठी की गई है। अतः शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

जहॉ तक पुराने सीलिंग कानून में निर्धारित दिनांक 1–4–66 की स्थिति का प्रश्न है, **तहसीलदार, श्री करणपुर की रिपोर्ट** कमांक 93 दिनांक 24–12–93 एवं 5287 दिनांक 24–12–92 के अनुसार चक 40 एच बी में अप्रार्थी के धारण में दिनांक 25–2–58, 9–12–59 एवं 1–4–66 को 41 बीघा 16 बिस्वा नहरी कृषि भूमि थी। रिपोर्ट में इस तथ्य का भी अंकन किया है कि 41 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से दिनांक 29–4–72 को अपने लड़के कपूरसिंह के हक में 16 बीघा 10 बिस्वा नहरी रकबा

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

तमलीक करवा दिया था व दिनांक 14–5–90 को अप्रार्थी तारासिंह को जरिये विरासत 3 बीघा 0.9,3/4 बिस्वा नहरी भूमि प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि चक 40 एच में अप्रार्थी तारासिंह के परिवार के किसी सदस्य के नाम रकबा नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी तारासिंह एवं उसके परिवार के धारण में चक 40 एच में दिनांक 1–4–66 को निम्नानुसार भूमि थीः–

तारासिंह 41 बीघा 16 बिस्वा नहरी कृषि भूमि थी।

तहसीलदार, रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक 2368 दिनांक 30–7–97 एवं 4210 दिनांक 23–10–97 के अनुसार चक 17 आर बी तहसील रायसिंहनगर में अप्रार्थी के धारण में 25–2–58 व 9–12–59 को 28 बीघा 8 बिस्वा नहरी व 19 बिस्वा बारानी कुल 29 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि थी। दिनांक 1–4–66 को 1 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि शेष रहना अंकित किया है। इस 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि के अलावा शेष भूमि का हस्तान्तरण किस तरीके से किया गया है, रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है। रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि चक 72 आर बी,17 आर बी व 22 पी एस में अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के नाम से कोई भूमि नहीं है।

इस प्रकार अप्रार्थी तारासिंह एवं उसके परिवार के धारण में चक 17 आर बी में दिनांक 1–4–66 को निम्नानुसार भूमि थीः–

तारासिंह 1 बीघा 6 बिस्वा नहरी कृषि भूमि थी।

इस प्रकार चक 40 एच तह0 श्री करणपुर एवं 17 आर बी तहसील रायसिंहनगर में 41.06 प्लस 1.06 बराबर 42.12 बीघा नहरी कृषि भूमि थी तथा परिवार में दिनांक 1–4–66 को अप्रार्थी स्वंय, पत्नी करतारकौर, पुत्र कपूरसिंह, पुत्री कुलदीपकौर एवं अमरजीतसिंह पुत्र कुल पॉच सदस्य थे। अप्रार्थी पॉच सदस्यों के परिवार के लिए प्रथम ग्रुप की 46.08 बीघा भूमि धारण करने के अधिकारी है जबकि उसके धारण में दिनांक 1–4–66 को 42 बीघा 12 बिस्वा ही कृषि भूमि थी, जो सीलिंग सीमा से कम है।

जहॉ तक, नये सीलिंग कानून में निर्धारित दिनांक 1–1–73 की स्थिति का प्रश्न है, उक्त रिपोर्टस के अनुसार अप्रार्थी के धारण में दिनांक 1.1.73 को चक 40 एच बी तहसील श्री करणपुर में 16 बीघा 10 बिस्वा एवं चक 17 आर बी तहसील रायसिंहनगर में 1 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि थी। इस प्रकार कुल 17 बीघा 16 बिस्वा भूमि दोनों चकों की मिलाकर अप्रार्थी के धारण में थी, जो सीलिंग सीमा से कम है।

जहॉ तक, वर्तमान स्थिति का प्रश्न है, तहसील, श्री करणपुर की रिपोर्ट क्रमांक 2263 दिनांक 8–11–06 के अनुसार, अप्रार्थी तारासिंह के धारण में चक 40 एच बी की 10.433 है0 कृषि भूमि है, उसके पुत्र कपूरसिंह के धारण में 9.792 है0कृषि भूमि है, अमरजीतसिंह (पुत्र) के धारण में 6.552 है0 कृषि भूमि है, पुत्रवधू सुखदीपकौर के धारण में 2.277 है0। रिपोर्टस के अनुसार इन सबके पृथक–2 परिवार हैं तथा इनके धारण में सीलिंग सीमा से कम भूमि है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि अप्रार्थी के पिता किशनसिंह के नाम से सीलिंग प्रकरण सं0 249/81 संस्थित हुआ था, जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21–3–93 को पारित किया गया था। दिनांक 21–3–97 के निर्णय के विरूद्व मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में सीलिंग अपील सं044/97 सरदारासिंह, प्यारासिंह, भजनसिंह, दरबारासिंह एवं तारासिंह पिसरान किशनसिंह द्वारा दायर की गई थी। माननीय मण्डल द्वारा उक्त अपील का निर्णय दिनांक 10–9–99 को किया जाकर, सीलिंग प्रकरण सं0 249/91 में पारित निर्णय दिनांक 21–3–97 को निरस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार, शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में वर्णित तथ्यों की पुष्टि प्राप्त रिपोर्टस से नहीं होती है। अतः सीलिंग शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.5.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/5/17
(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner